BAR ASSOCIATION DEHRADUN

वसीयतनामा

क्र. A 20250

मै कि श्री बलबीर सिंह पुत्र स्व0 श्री दर्शन लाल निवासी बिजली घर के सामने, माजरा सहारनपुर रोड, जिला देहरादून उत्तराखण्ड का हूँ। (वोटर आई० डी० नं० UTJ2027704)

उम्र 84 वर्ष

ओर से अपने पौत्र अमर कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार निवासी बिजली घर के सामने, माजरा सहारनपुर रोड, जिला देहरादून उत्तराखण्ड का हूँ।

रचियता चौधरी शिव कुमार एडवोकेट, देहरादून।

बलबीर सिंह

वसीयतनामा

मै कि श्री बलबीर सिंह पुत्र स्व0 श्री दर्शन लाल निवासी बिजली घर के सामने, माजरा सहारनपुर रोड, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड का हूँ।

.....वसीयतकर्ता

जो कि मै वसीयतकर्ता इस समय लगभग 84 वर्ष का हो चुका हूँ तथा जीवन का कोई भरोसा नही रहा है कि कब प्राण पखेरू उड़ जाये इसलिए मै चाहता हूँ कि अपने जीवन काल में ही अपनी निम्न विवरण सम्पत्ति की वसीयत कर दू ताकि मेरी मृत्यु के पश्चात कोई वाद विवाद मेरी सम्पत्ति की बावत उत्पन्न न हो जाये। और सम्पत्ति खुर्द–बुर्द न हो जाये इस लिए मै अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने स्वस्थ मस्तिष्क से बिना किसी के सिखलायें बहकायें व बिना किसी दवाव के अपनी स्वतंन्त्र इन्द्रियो की स्वस्थ दशा में अपनी निम्न विवरण सम्पत्ति की वसीयत निम्न प्रकार करता हूँ। जिसका पालन मेरी मृत्यु के पश्चात तुरन्त प्रभावी होगी। मुझ वसीयतकर्ता को अपनी निम्न विवरण सम्पत्ति को हर प्रकार से हस्तांतरण, विक्रय तथा वसीयत आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। निम्न विवरण सम्पत्ति मुझ वसीयतकर्ता के कब्जे व स्वामित्व में चली आ रही है। मै वसीयतकर्ता अपनी निम्न विवरण सम्पत्ति की वसीयत निम्न प्रकार करता हूँ:–

यह कि मुझ वसीयतकर्ता की पत्नी श्रीमती कमला देवी की मृत्यु हो चुकी है। यह कि मुझ वसीयतकर्ता के पांच पुत्र क्रमशः स्व0 अशोक कुमार, श्री विजय कुमार, श्री अनिल कुमार, श्री सतीश कुमार एवं श्री रमेश कुमार है। जिनमें से मेरे बड़े पुत्र अशोक कुमार का देहान्त हो चुका है। मेरी दो पुत्रिया क्रमशः श्रीमती सरोज पत्नी स्व0 श्री अशोक कुमार, निवासी अहमद बाग, निकट रोजबैक नर्सरी, जिला सहारनपुर, उ0प्र0 एवं श्री मंजू देवी पत्नी श्री सर्वजीत सिंह निवासिनी 540 सी, रेलवे कालोनी, जिला सहारनपुर, उ0 प्र0 है।

यह कि मुझ वसीयतकर्ता ने अपने बड़े पुत्र स्व0 श्री अशोक कुमार को उसके जीवन काल में ही अलग से जमीन खरीदकर मकान बनवा दिया था जिसमें स्व0 श्री अशोक कुमार की पत्नी श्रीमती प्रमिला एवं पुत्र श्री सुधीर सुखपूर्वक रह रहे है। अतः मै अपने उक्त पुत्र स्व0 श्री अशोक कुमार को इस वसीयत द्वारा कोई सम्पत्ति नही दे रहा हूँ।

यह कि मुझ वसीयतकर्ता ने अपने दूसरे पुत्र श्री विजय कुमार, तीसरे पुत्र श्री अनिल कुमार, चौथे पुत्र श्री सतीश कुमार को उनके जीवन काल में ही अलग से जमीन खरीदकर मकान बनवा दिया था जिसमें मेरे उपरोक्त तीनो पुत्र अपने–अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रह रहे है। अतः मै अपने उपरोक्त तीनो पुत्रों अनिल कुमार, श्री सतीश कुमार तथा श्री विजय कुमार को इस वसीयत द्वारा कोई सम्पत्ति नही दे रहा हूँ।

यह कि मेरी उपरोक्त दोनो पुत्रियां श्रीमती सरोज एवं श्रीमती मंजू विवाहित है और अपने अपने ससुराल में अपने अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है उनको मैने जो भी देना था उनकी शादी में दे दिया था एवं बाद में उपरोक्त दोनो पुत्रियों को एक –एक दुकान दान में दे दी थी।

यह कि इस समय मै अपने सबसे छोटे पुत्र श्री रमेश कुमार के साथ रहता हूँ और वह ही मेरी सेवा टहल करते है जिससे खुश होकर मै इस वसीयत के द्वारा इस वसीयत में वर्णित सम्पत्ति अपने छोटे पुत्र रमेश कुमार के पुत्र अमर कुमार को दे रहा हूँ।

यह कि मेरे उक्त पौत्र अमर कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार को अधिकार होगा कि वह मेरी मृत्यु के बाद इस वसीयत में वर्णित सम्पत्ति को राजस्व अभिलेखो में अपने नाम पर अंकित करवायें तथा जिस प्रकार चाहें उपयोग, उपभोग करे, विक्रय करे, हस्तांतरण करे, दान करे, या अन्य किसी प्रकार से लाभ अर्जित करें इसमें मेरे किसी अन्य वारिस को किसी प्रकार का क्लेम व हक तथा आपत्ति जताने का अधिकार नही होगा।

यह कि जब तक मै जीवित हूँ तब तक मै अपनी निम्न विवरण सम्पत्ति का स्वयं मालिक व स्वामी रहूँगा तथा मेरी मृत्यु के बाद यह वसीयतनामा प्रभावी होगा।

यह कि यदि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी निम्न विवरण सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्य कोई वारिस किसी प्रकार का हक जताए या क्लेम करे तो वह सब के सब इस वसीयत के समक्ष निर्मूल, निराधार, निरस्त समझे जायेगे और मेरी यह वसीयत सर्दव प्रभावशाली होगी व मानी जायेगी।

यह कि मैने आज से पूर्व जो भी वसीयत व अन्य विलेख निम्न विवरण सम्पत्ति के सम्बन्ध में लिखे हो वह सबके सब इस वसीयत के सम्मुख निर्मूल निराधार व निरस्त माने व समझे जायेगे तथा यह वसीयत सदैव वैधानिक मानी व समझी जायेगी।

यह कि मैने यह वसीयत अपनी स्वतन्त्र इच्छा से बिना किसी के सिखलाये, बहकाये वरन बिना किसी दबाव के सोच समझकर अंकित की है जो कि सदैव मान्य होगी।

यह कि वसीयत नामें में वर्णित सम्पत्ति में मुख्य सहारनपुर रोड से 15 फीट चौड़ा रास्ता पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर भूमि खसरा संख्या 511 में जाता है।

यह कि मेरी भूमि खसरा संख्या 511 पुराना नम्बर 161 जो कि आई.एस.बी.टी. के लिए अधिग्रहित की गयी है जिसके मुआवजे के लिए सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है उक्त अधिग्रहित होने वाली भूमि का मुआवजा यदि मेरे जीवित रहते हुए मिलेगा तो उसका उपयोग वसीयतकर्ता अपने मर्जी से करेगा और यदि मेरे जीवन पर्यन्त उक्त वाद का निर्णय नही होता है तो मेरी मृत्यु के बाद उक्त मुआवजे को लेने का एक मात्र अधिकारी मेरा छोटा पुत्र श्री रमेश कुमार होगा।

यह मेरी निम्न विवरण सम्पत्ति के बावत पहली और अंतिम वसीयत है जो कि मेरी मृत्यु पर तुरन्त प्रभावी होगी। यह कि यदि इससे पूर्व कोई वसीयत निम्न विवरण सम्पत्ति की बावत पायी जाती है तो वह इस वसीयत के सम्मुख निर्मुल व निष्प्रभावी होगी व मानी जायेगी।

विवरण सम्पत्ति जो इस वसीयत के द्वारा मेरे पौत्र अमर कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार को दी जा रही है।

भूमि खाता संख्या 1000 (1411 से 1416 फसली) भूमि खसरा संख्या 512 ग रकबा 0.0745 हैक्टेयर अर्थात 745 वर्गमीटर स्थित मौजा माजरा परगना पछवादून जिला देहरादून जिसमें एक मकान 139 वर्गमीटर क्षेत्र का निर्मित है– जिसमें तीन कमरे, एक रसोई, एक स्नानगृह, एक लॉबी, एक स्टोर, व जीना, ममटी निर्मित है एवं 40 फीट गुणा 18 फीट का हॉल जिसका क्षेत्रफल 86.9 वर्गमीटर है एवं एक आफिस का कमरा निर्मित है जिसकी सीमाए निम्न प्रकार है:–

पूरब में– सम्पत्ति श्री रमेश कुमार,

पश्चिम में– सम्पत्ति अन्य, तत्पश्चात सहारनपुर रोड ,

उत्तर मे– सम्पत्ति श्री सुदेश वर्मा,

दक्षिण में– सम्पत्ति श्री रघुवीर सिंह,

जो संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है।

मुझ वसीयतकर्ता ने अपने हस्ताक्षर इस वसीयत को पढकर व समझ कर अपनी स्वेच्छा से बिना किसी के सिखलाये बहकाये वरन् उपनी स्वतन्त्र इच्छा से गवाहान के समक्ष किये है तथा गबाहान ने भी अपने–अपने हस्ताक्षर मेरे समक्ष व एक दूसरे के समक्ष किये है।

रघुवीर सिंह

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

वसीयतकर्ता का नाम :–

श्री बलवीर सिंह

बाये हाथ की अंगुलियो के चिन्ह

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्का

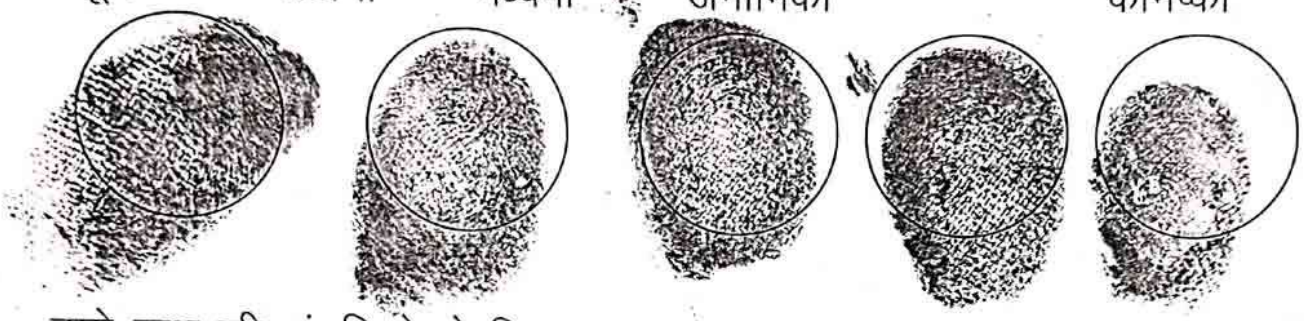

दाये हाथ की अंगुलियो के चिन्ह

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्का

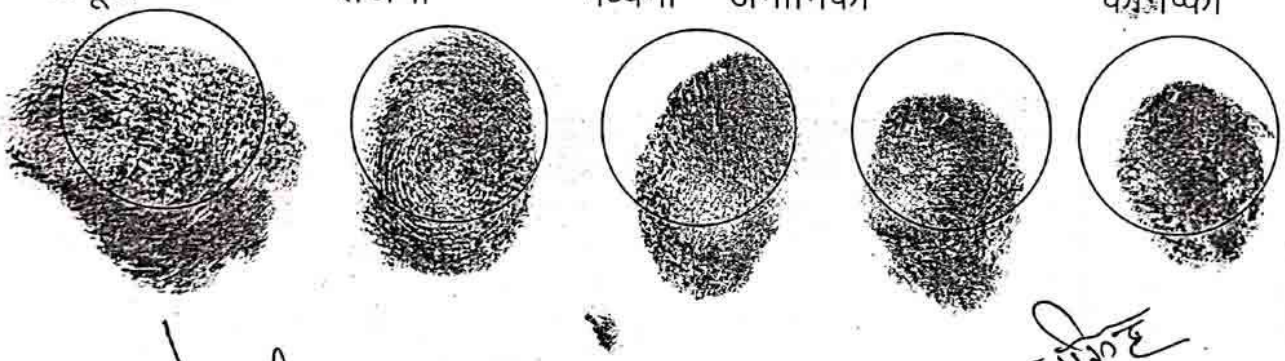

साक्षी 1.........................

रघुवीर सिंह
S/o स्व० दर्शन लाल
R/o ग्रा० माजरा, जि० देहरादून
ID No - CTJ 2017309

साक्षी 2.........................

कृष्ण पाल सिंह
पु०. श्री वेग सिंह
नि०. विद्या विहार, पटेल नगर देहरादून
I.D. No. CTJ 3393576

अतः यह वसीयतनामा लिख दिया गया है ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे इतिलिखित दिनांक 13.02.2012 को स्थान देहरादन।

बलवीर सिंह

हस्ताक्षर..................वसीयतकर्ता

Ch Shiv Kumar Advocate 14/2/12

रचियता चौधरी. शिव कुमार, एडवोकेट, देहरादून।

SITE PLAN

भूमि खाता संख्या 1000 (1411 से 1416 फसली) भूमि खसरा संख्या 512 ग रकबा 0.0745 हैक्टेयर अर्थात 745 वर्गमीटर स्थित मौजा माजरा परगना पछवादून जिला देहरादून जिसमें एक मकान, हाल, तथा आफिस निर्मित है।

वसीयतकर्ता :– श्री बलवीर सिंह

N

W E

S

Not to Scale

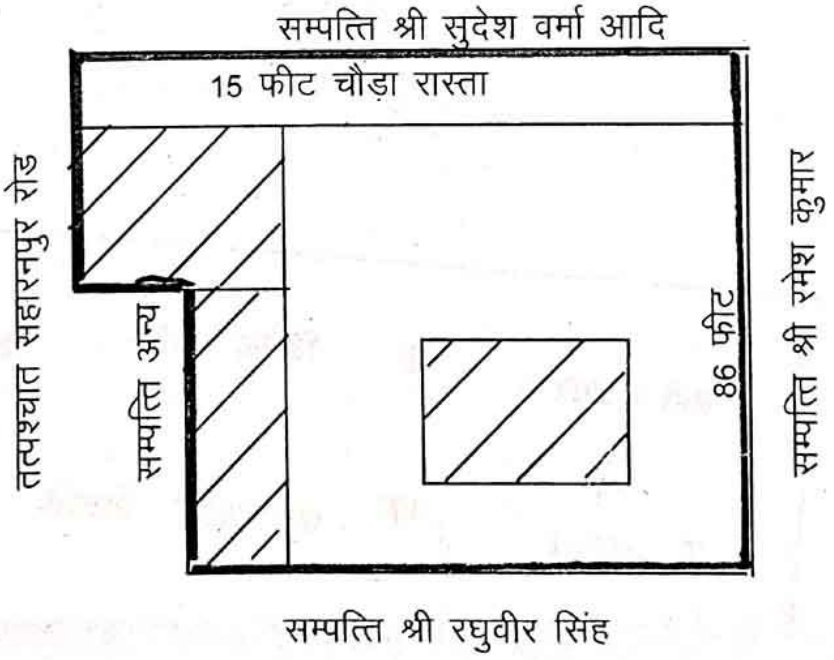

वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर

बही नम्बर 3 जिल्द 208 पृष्ठ 169 से 182

में नम्बर 117 पर आज दिनांक 14-February-2012

में रजिस्ट्रे की गयी ।

उप निबन्धक प्रथम देहरादून